कार्यालय आख्या एस 06

सभी पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि सुनवाई दिनांक 03.11.2026 में सूचीबद्ध वादों की सुनवाई त्रिसदस्यीय पीठ पूर्ण न होने के कारण सूचीबद्ध वादों की सुनवाई दिनाँक 03.11.2026 के स्थान पर दिनाँक 17.11.2026 नियत की जाती है।

दिनांक 03/11/2026

आज्ञा से

मा0, राज्य सूचना आयुक्त,

03/11/2026

पेशकार एस–6